प्रेस विज्ञप्ति

प्रायः यह देखने में आया है कि विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों तथा सोशल मीडिया पर किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के संदर्भ में विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियमावली का उल्लंघन करते हुए विभिन्न प्रशासनिक पदों पर अनियमित तैनाती किये जाने तथा विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद सदस्यों द्वारा विभिन्न स्तरों पर इसकी शिकायत प्रेषित किये जाने की खबरे प्रकाशित की जाती रहती है/अफवाहें फैलायी जाती रहती है। जिसके कारण किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की छवि अनायास ही धूमिल होती है।

इस संदर्भ में आप सभी को अवगत कराना है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत समस्त प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती पूर्णतः विश्वविद्यालय नियमों के अंतर्गत की गयी है। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय का पक्ष विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियमावली में वर्णित व्यवस्थाओं की छायाप्रतियों के साथ निम्नवत् आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है:-

1. **विश्वविद्यालय अधिनियम (University Act) की धारा 07(2)** में व्यवधानित किया गया है कि कुलपति द्वारा चिकित्सा विश्वविद्यालय के आचार्यो में से एक प्रति कुलपति और हास्पिटल का एक मुख्य अधीक्षक नियुक्त किया जा सकता है।

2. **विश्वविद्यालय परिनियमावली की धारा 9.02 (5)** में उल्लिखित है कि चिकित्सालयों के मुख्य अधीक्षक, यदि विश्वविद्यालय के आचार्यों के मध्य से अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये हों, विश्वविद्यालय के विभाग में आचार्य के कर्तव्य के अतिरिक्त अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

3. **विश्वविद्यालय परिनियमावली की धारा 9.02 (6)** में उल्लिखित है कि- चिकित्सालयों के मुख्य अधीक्षक कुलपति के प्रति और उनके प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे।

4. **विश्वविद्यालय परिनियमावली की धारा 9.03 (14)** में निम्नवत् व्यवस्था- ''यदि और जब कार्यपरिषद के अनुमोदन के अधीन पद रिक्त हो, तो कुलपति कामचलाऊ व्यवस्था के तहत चिकित्सा अधीक्षक के रूप में स्थानापन्न व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालय विभाग के किसी अध्यापक को नाम निर्दिष्ट कर सकता है।''

5. **विश्वविद्यालय परिनियमावली की धारा 9.04 (14)** में निम्नवत् व्यवस्था उल्लिखित है- ''यदि और जब पद रिक्त हो, उप चिकित्सा अधीक्षक के रूप में स्थानापन्न व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालय के विभागों के किसी अध्यापक को नामनिर्दिष्ट करेगा।''

6. **विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 25 (7)** के अधीन विश्वविद्यालय कार्यपरिषद को निम्न अधिकार प्राप्त है :-

   ''विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों और उनकी सेवा शर्तो को परिभाषित करना और उनके पदों की अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना।''

7. जहां तक चिकित्सा विश्वविद्यालय का कुलसचिव नियुक्त किये जाने का प्रश्न है के सम्बंध में आपको अवगत कराना है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलसचिव श्री योगेश कुमार शुक्ला का स्थानांतरण

उ0प्र0 शासन द्वारा विशेष सचिव, सिचाई एवं जल संशाधन विभाग में होने तथा उनके स्थान पर शासन द्वारा नये कुलसचिव की तैनाती न किये जाने के कारण विश्वविद्यालय के कार्यो के सम्पादन हेतु शासन द्वारा नये कुलसचिव की तैनाती किये जाने की अवधि तक विश्वविद्यालय के नियमित प्रशासनिक कार्यो के निर्वहन हेतु प्रो0 शैलेन्द्र कुमार को कुलसचिव के कार्यो के निष्पादन का दायित्व सौपा गया था। शासन स्तर से कुलसचिव की तैनाती किये जाने तक प्रो0 शैलेन्द्र कुमार द्वारा कुलसचिव के दायित्वों का निर्वहन किया गया। वर्तमान में शासन द्वारा कुलसचिव के पद पर श्री उमेश मिश्रा जी की तैनाती कर दी गयी है तथा वह विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यो का निर्वहन कर रहे है।

उपरोक्त प्रकाशित तथ्यों के प्रकाश में स्वतः ही स्पष्ट है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियमावली में इंगित व्यवस्थाओं के अनुरूप ही की गयी है। जिसमें सभी जाति/धर्म के लोगों का समुचित प्रतिनिधित्व है।

आप सभी से अनुरोध है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के संदर्भ में किसी प्रतिकूल खबर के प्रकाशित करने से पूर्व प्रकाशित किये जाने वाले तथ्यों के संदर्भ में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का पक्ष भी अवश्य जान लिया जायें। जिससे अनायास ही किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल होने से बचा जा सकें।

धन्यबाद!

(मीडिया प्रभारी)
के00जी0एम0यू0